

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक 24 फरवरी, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-275/मु.अ./न.आ. दिनांक 11.11.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगर निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष कुल ₹ 476.27 लाख (₹ चार करोड़ छियहत्तर लाख सत्ताईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि ₹ 238.13 (₹ दो करोड़ अड़तीस लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्रीराज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्रम सं०	जिले का नाम	नगर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	आचार्य नरेन्द्रदेव, कन्हैया माधोपुर, बालागंज, भवानीगंज, न्यू हैदरगंज प्रथम व गढीपीर खाँ वार्ड में सड़क/नाली का सुधार कार्य	476.27	
			योग	476.27	238.13

- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा नगर निगम, लखनऊ के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
- योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
 8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
 9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
 10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2014 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
 11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।
2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-1041/दस-2014 दिनांक 24 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

संख्या-8511(1)/नौ-5-2013-255बजट/2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, कलेक्टर कोषागार, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ/निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
- 8- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

भाजा से,

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2013-2014
आवंटन दिनांक-24/02/2014

प्रेषण संख्या:-

8511

आवंटन आदेश संख्या:-

001-8511-9-5-2013-255Budget-2013

अनुदान संख्या:-

37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:-

2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

80 - सामान्य

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	23813000 108065000	23813000 108065000
	योग	वर्तमान प्रणामी	23813000 108065000	23813000 108065000

महायोग - (वर्तमान आवंटन):-
महायोग - (प्रणामी आवंटन):-

रुपया दो करोड़ अड़तीस लाख तेरह हजार
रुपया दस करोड़ अस्सी लाख पैंसठ हजार

उप सचिव
उमा शंकर सिंह